कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला हाँशगाबाद (म.प्र.)

/भू.ज./नग्रानि/2014

होशंगाबाद दिनांक 5/12/2014

प्रति,

येदान्त शिक्षा समीति खंडवा अध्यक्ष श्री राजीव कुमार खरे पिता श्री स्व. रमेश कुमार खरे

विषय :- हरदा ,विकास योजना 2015 में भूमि उपयोग की जानकारी ।

संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 3/12/2014

शासन द्वारा अनुमोदित हरदा विकास योजना 2015 के अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानसार है ।

पाम एवं बन्दोबस्त मं,	खसरा/नजूल शीट नं.	हरदा विकास योजना 2015 में निट्टिस्ट भूमि उपयोग
हरदा खास	(2/87,2/89/2,2/90,2/94)	(व्यापक तौर पर सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक प्रयोजन)

- 1 हरदा विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत सांकेतिक स्वरूप के है अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानीचंत्र पर अंकन होने अथवा क्रियानव्यन के समय एवं परिक्षेत्रिय योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के प्रश्ताचात उक्त भूमि अथवा कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भूमि उपयोग में भी आ सकती है ।
- 2 विकास योजना के अनुरुप उपयोग की जानकारी प्रदान करने के ताल्पर्य विकास अनुज्ञा/अभिमत दिया जाना नहीं है। जिसके लिए मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973,मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रिजस्ट्रीकरण निर्वचन तथा शतें) नियम 1998/1999 एवं अन्य संवीधत अधिनियम/नियम के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आयरपक होगा।
- 3 उक्त भूमि को जानकारी मे अन्य प्रासिंगत उपयोग भी सिम्मिलित है जिसका विकास अनुजा देते समय निर्धारण हो सकता है ।
- 4 आवेदक व्यारा अक्स बटान प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण पूरे खसरे का उपयोग दिया जा रहा है ।
- 5 इस भूमि उपयोग संबंधी जानकारी को म.प्र.भू राजस्य संहिता 1959 की घारा 172 अंतर्गत भूमि व्यवतंन संबंधी अनापित /अनुमति न समझा जावे इस संबंध में आधेदक की सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) पृथक से अनुमति लेनी होगी ।
- 6 प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित अन्य नियोजन मापदंड विकास योजना के अध्याय 6 सा 15 में उल्लेखित है।
- 7 उक्त भूमि उपयोग अंतर्गत स्वीकार्य गतिविधियां हरदा विकास योजना 2015 को सारणी बिन्दु 4 के अनुसार है ।

राह्य संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश होशंगाबाद (म.प्र.)